

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

पत्र संख्या **54(आ०)** / राँची, दिनांक **29/01/2025**
02/ह0र0ह0नि0/बजट/आवं0/शिल्पी प्रशिक्षण-06-02/2024

प्रेषक,

आकांक्षा रंजन
निदेशक,
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, गुमला एवं देवघर।

विषय— वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय शीर्ष 2852- उद्योग - 80 - सामान्य -003- औद्योगिक शिक्षा - अनुसंधान तथा प्रशिक्षण- 01-शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत दो बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु विभिन्न मदों में कुल रु0 (छियालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट शीर्ष 2852- उद्योग - 80 - सामान्य -003- औद्योगिक शिक्षा - अनुसंधान तथा प्रशिक्षण- 01-शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना अन्तर्गत वेतन मद में व्यय हेतु कुल रु0 46,900/- (छियालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत् आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विस्तृत शीर्ष एवं प्राथमिक इकाईयों (विपत्र कोड सहित)	केन्द्र का नाम एवं आवंटित राशि		कुल योग
		बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, मधुपुर (देवघर)	बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, टोटो (गुमला)	
1	2	3	4	
1	वेतन 28528000301000101	26900	0	26900
2	वर्दी 28528000301000334	12000	8000	20000
	योग-	38900	8000	46900

(छियालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट शीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-003-औद्योगिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण -01- शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र-00-01- वेतन एवं भत्ता-01-वेतन मद से विकलित होगा तथा राशि निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा। यह स्थापना व्यय अन्तर्गत स्थायी कार्यालय है।
- यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट उपबन्ध तथा आवंटनादेश संख्या-02, दिनांक 03.04.2024 एवं आवंटनादेश संख्या-07, दिनांक 20.12.2024 के अन्तर्गत है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में दिया जा रहा है। अस्तु राशि के निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या वित्त-4-23/2003/1800 वि०, राँची दिनांक 15.07.2003 एवं वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/ 2015-1681/वि०, दिनांक 10.06.2015 के आलोक में ही की जाएगी एवं राशि की निकासी हेतु उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा :-
(क) वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय एवं आवंटित राशि की निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा।

(ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।

(घ) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 3री (तीसरी) तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(च) व्यय प्रतिवेदन में प्रत्येक इकाई का व्योरा अलग-अलग प्रेषित किया जाय।

(छ) व्यय सक्षम पदाधिकारी, जहाँ आवश्यक हो, से स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का निजी दायित्व है कि वेतनादि एवं अन्य मद में व्यय का आकलन कर आवंटन हेतु अधियाचना भेजेंगे ताकि माँग के आधार पर पुनः आवंटन निर्गत किया जा सके।

8. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिसे <https://finance-jharkhand.gov.in/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

ज्ञापांक 54

/राँची, दिनांक 29/01/2025

02/ह0रे0ह0नि0/बजट/आव0/शिल्पी प्रशिक्षण-06-02/2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, पो0-हिन्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

ज्ञापांक 54

/राँची, दिनांक 29/01/2025

02/ह0रे0ह0नि0/बजट/आव0/शिल्पी प्रशिक्षण-06-02/2024

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार गुमला एवं देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

ज्ञापांक 54

/राँची, दिनांक 29/01/2025

02/ह0रे0ह0नि0/बजट/आव0/शिल्पी प्रशिक्षण-06-02/2024

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय (उद्योग) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड राँची/उप उद्योग निदेशक (योजना), हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड राँची /कम्प्यूटर सेल, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची (वेबसाइट पर डालने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Industries Department

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 02/HSN.IN-02/24/54(ALLOC)

दिनांक - 29-Jan-2025

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 23 28528000301000101 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 003 - औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 01 - शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	84696	DGRINDF23 DAS KUMAR EKKA G.M., D.I.C., DEOGHAR. 01 - वेतन	26,900.00 रुपये छब्बीस हजार नौ सौ
2	S 23 28528000301000334 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 003 - औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 01 - शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	84694	DGRINDF23 DAS KUMAR EKKA G.M., D.I.C., DEOGHAR. 34 - वर्दी	12,000.00 रुपये बारह हजार
3	S 23 28528000301000334 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 003 - औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 01 - शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	84695	GMLIND001 SURESH WALTER PETER TIRKEY GM IND. DEPTT. GUMLA 34 - वर्दी	8,000.00 रुपये आठ हजार

योग: रुपये छयालीस हजार नौ सौ

46,900.00

क्रमिक योग:

(AKANKSHA RANJAN)
DIRECTOR, H&H